न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 94 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चिन्कु पत्नी दुर्गाराम जाति घांची निवासी हाडिया कुआं, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला— पाली।		1. भुण्डाराम पुत्र रोसाराम जाति घांची निवासी पावटी का वास, सोजत सिटी तह0 सोजत, जिला— पाली। 2. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे, श्री कुन्दनमल अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।

2. श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 15/01/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 3033 के खसरा नम्बर 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर की भूमि प्रार्थीया की एकमात्र खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है जो कि प्रस्तुत जमाबन्दी से स्पष्ट है तथा उक्त भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर 6474/2886 रकबा 0.0900 हैक्टर की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आई हुई स्थित है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 6473/2886 व खसरा नम्बर 6474/2886 की भूमि को प्रार्थना पत्र में वादस्थ भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि जो कि प्रार्थीया की खातेदारी कब्जा काश्त की है जिस पर वक्त खरीद से प्रार्थीया का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा उक्त भूमि को प्रार्थीया द्वारा अपने प्रिंसिपल विक्रेता श्रीमती कमलादेवी पत्नी धनराज जाति घाँची निवासी नवचौकीया, सोजत सिटी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06/09/2023 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा बेचान के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदार इन्द्राज किया गया तथा जो भूमि प्रार्थीया द्वारा कमलादेवी से खरीद की गई, उक्त कमलादेवी को अप्रार्थी संख्या 1 भुण्डाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बक्सीस में दी गई, जो तथ्य स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 की निजी जानकारी में है तथा प्रार्थीया की उपरोक्त भूमि के पड़ौस में चिपते ही खसरा नम्बर 6474/2886 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य आए दिन सीमाकंन/पत्थरगढी के अभाव में मौके पर सीमाओं, धोरा पाली व कब्जा काश्त को लेकर आपसी मन मुठाव रहता तथा झगड़ा व विवाद होते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया के मौके पर सीमाओं को लेकर कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने से विवाद की सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थीया व उसके पति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार प्रार्थीया की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 मानने को तैयार नहीं है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में सीमाकंन हेतु तहसीलदार सोजत को सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा आदेश क्रमांक/भू.म./सीमांकन/23/110 दिनांक 02/01/2024 की पालना में पटवार मण्डल सोजत चक प्रथम के पटवारी मौके पर सीमांकन हेतु गये, जहाँ पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर विवाद किया गया तथा फर्द में यह अंकित किया कि अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा मौके पर विवाद किया गया, जिस पर उक्त विवादित स्थिति में खसरे का मापन किया जाना सम्भव नहीं है, तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण सीमा ज्ञान नहीं करवाया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

जा सका। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर की भूमि का मौके पर सीमाकंन/पत्थरगढी करवाई जाकर मुटाग लगवाये जाने के आदेश प्रदान करवाने का निवेदन किया हैं।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह जैतावत ने वकालतनामा व जवाब प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीया के राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 3033 के खसरा संख्या 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर की कृषि भूमि अवश्य आई हुई स्थित है, लेकिन उसके चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 भुण्डाराम के खसरा नम्बर 6474/2886 रकबा 0.0900 हैक्टर नहीं होकर मौके पर 0.1600 हैक्टर स्थित है, जिसका नाप चौक मौके पर कई बार किया जा चुका है तथा नक्शे में भी पुराने खसरा नम्बर 2886 में 0.3200 हैक्टर कृषि भूमि मौके पर स्थित है। उक्त खसरे दुरूस्ती के लिये प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 133, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नक्शा दुरूस्ती हेतु दिनांक 20/08/2024 को भुण्डाराम बनाम चिन्कु देवी यानि चिन्कु देवी के खिलाफ पेश कर रखा है, जिसके जरिये नक्शे की मौके की स्थिति के अनुसार शुद्धीकरण होने के पश्चात् ही उक्त प्रार्थना पत्र में सीमांकन किये जाने का आदेश किया जाना सम्भव है, जबकि अप्रार्थी भुण्डाराम के द्वारा अन्य खातेदारान जो एक ही पिता जगन्न नाथ जी की संतान है, जो अप्रार्थी भुण्डाराम के सभी चाचा व चाचा के लड़के पक्षकार है, उनके विरूद्ध धारा 88, 188, 183 व 53 का वाद पेश कर रखा है, उसमें भी प्रार्थीया चिन्कु देवी को पक्षकार बनाया गया है, जिसकी तामिल चिन्कु देवी को हो चुकी है, चूंकि यह सम्पूर्ण कुंआ बेरा नोक का बंटवाड़ा वक्त सेटलमेन्ट पांचो भाईयों के नाम हुआ था, जिसमें प्रार्थीया चिन्कुदेवी के पिता सुकाराम के द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारीयों से मिलावट कर पांचो भाईयों के खातो में भूमि कम ज्यादा दर्ज करवा दी थी तथा खुद के पिता लालाराम जी के खाते में 1/5 हिस्से में रकबा 1.1460 हैक्टर की बजाय रकबा 1.4900 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी थी, जो कि रकबा 0.3500 हैक्टर ज्यादा दर्ज करवा दी थी, जबकि लालाराम के हिस्से में खसरा नम्बर 2884 के पुराने खसरा नम्बर 182/1.16 में 0.5900 हैक्टर दर्ज करवा दी, जबकि उस खसरे में वास्तव में मौके पर 0.2400 हैक्टर ही है तथा 0.3500 हैक्टर रेकर्ड में ज्यादा दर्ज करवा दी, लेकिन मौके पर नही है तथा अप्रार्थी भुण्डाराम के खसरा नम्बर 2886 में मौके पर 0.3200 हैक्टर कृषि भूमि है, लेकिन रेकर्ड में 0.2500 हैक्टर ही दर्ज है। यानि 0.0700 हैक्टर कम दर्ज की गई है। जिसकी घोषणा करवाने का वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश कर रखा है, उक्त वाद के निस्तारण के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में वादी के हिस्से में 1.0700 हैक्टर की बजाय 1.1460 हैक्टर कृषि भूमि आयेगी, तथा खसरा संख्या पुराने 2886 वर्तमान में 6473/2886 व 6474/2886 वर्तमान में रकबा 0.2500 हैक्टर की बजाय 0.3200 हैक्टर खातेदारी में भी घोषित हो जायेगा एवम् शुद्धीकरण के जरिये खसरे में भी 0.2500 हैक्टर की जगह 0.3200 हैक्टर हो जायेगा। तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना सम्भव है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त विवादग्रस्त खसरे का बक्सीसनामा अप्रार्थी भुण्डाराम ने अपनी बहिन कमलादेवी के नाम 0.1600 हैक्टर जमीन का बक्सीसनामा किया था, तत्पश्चात् कमलादेवी को अप्रार्थी ने उक्त विवादग्रस्त खसरा नम्बर 2886 के पश्चिम दिशा में रकबा 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि का मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, तत्पश्चात् प्रार्थीया चिन्कुदेवी ने कमलादेवी से यह विवादग्रस्त खसरा की कृषि भूमि 0.1600 हैक्टर खरीद कर बेचान इकरारनामा अपने पक्ष में करवाया, उस वक्त चिन्कु देवी के पिता सुकाराम जो उक्त कुंए का भागीदार काश्तकार है, जिसको पूर्व में यह जानकारी थी कि खसरा संख्या 2886 की कृषि भूमि मौके पर 0.2500 हैक्टर नही होकर 0.3200 हैक्टर है, इसलिये चिन्कु देवी, उसके पिता सुकाराम व विक्रेता कमलादेवी ने मिलकर के पटवारी से मिलावट कर के खसरा संख्या 2886 के दो खसरा 6473/2886 व 6474/2886 बनवाये गये, साथ ही नक्शे में जब तरमीम किया गया, तब हल्का

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पटवारी से मिलावट कर प्रार्थीया चिन्कु देवी के खसरा नम्बर 6473/2886 में 0.2300 हैक्टर कृषि भूमि का तरमीम किया गया तथा शेष 6474/2886 अप्रार्थी भुण्डाराम के खाते में 0.0900 हैक्टर कृषि भूमि नक्शे में तरमीम की गई। इसलिये अब प्रार्थीया चिन्कुदेवी सुनियोजित तरीके से अपने खाते के नक्शे में 0.2300 हैक्टर कृषि भूमि तरमीम करवा कर यानि 0.0700 हैक्टर अधिक तरमीम करवा कर नक्शे के आधार पर 0.1600 हैक्टर की बजाय 0.2300 हैक्टर कृषि भूमि सुनियोजित तरीके से पत्थरगढ़ी व सीमांकन के जरिये एवम् उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये प्राप्त करना चाहती है, एवम् अप्रार्थी को मात्र नक्शे में तरमीम के अनुसार 0.0900 हैक्टर कृषि भूमि देना चाहती है, जो कतई न्यायोचित व सम्भव नही है। चूंकि चिन्कु देवी ने मात्र 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि की खरीद की है एवम् मौके पर इसके पास में 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि कब्जे काश्त में है, जो उक्त विवादग्रस्त खसरे के पश्चिम दिशा में कब्जा प्राप्त कर रखा है तथा अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नहीं की है, क्योंकि प्रार्थीया चिन्कुदेवी अप्रार्थी भुण्डाराम के काका का बेटा भाई सुकराराम की पुत्री है, जो भुण्डाराम के रिश्ते में भतीजी लगती है, जो अपनी पुत्री के समान है. लेकिन सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थीया चिन्कु देवी अपनी खरीद की गई 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि से अधिक 0.0700 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त करना चाहती है। इसलिये उसने सीमांकन हेतु तहसीलदार सोजत के समक्ष भी प्रार्थना पत्र पेश कर मौका फर्द अप्रार्थी की अनुपस्थिति में बना कर झूठे आरोप लगाये कि मौके पर अप्रार्थी माप चौक नहीं करने दे रहा है, जबकि उक्त माप चौक की जानकारी श्रीमान के न्यायालय से नकले प्राप्त करने के पश्चात् अप्रार्थी को हुई है। प्रार्थीया मौके पर आराम से अपने हिस्से की कृषि भूमि में कृषि कार्य बिना किसी रोक टोक एवम् दखल अन्दाजी के कर रही है। इसके बावजूद भी झूठे झूठे आरोपो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र में नियमो से परे जाकर के प्रार्थीया द्वारा श्रीमान के न्यायालय से एक तरफा अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 01/07/2024 को प्राप्त करके अप्रार्थी को पाबंद किया गया है, जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवम् 128 भू–राजस्व अधिनियम के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करना और स्थगन आदेश प्राप्त करने का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार साहब सोजत को प्रार्थना पत्र कब पेश किया, उस पर क्या आदेश हुआ और उसकी पालना हल्का पटवारी ने कब की, इसकी जानकारी अप्रार्थी को कतई नहीं थी, जब श्रीमान के न्यायालय से नकले प्राप्त की, तब जानकारी में आया, चूंकि सीमांकन करवाने के लिये यह फोरमल्टी जानबुझकर हल्का पटवारी से मिलकर के करवाई गई, जो कतई न्यायोचित नहीं है, जबकि अप्रार्थी कभी भी प्रार्थीया के हक हिस्से की कृषि भूमि व उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नही की है, और न ही भविष्य में करने की कोई इच्छा रखता है। चूंकि प्रार्थीया अप्रार्थी की भतीजी है, जो पुत्री समान है तथा मौके पर सीमांओ को लेकर किसी प्रकार का विवाद व झगड़ा न हुआ है न ही होने वाला है न ही कोई विवाद की स्थिति बनी हुई है, जबकि दोनो के बीच में सीमांकन पहले से आपसी सहमति से कमला देवी के समय से कर रखा है और बीच में पत्थर रोपे हुये है तथा प्रार्थीया आराम से अपनी फसल की देखरेख व निराई गुडाई व कटाई कर रही है और किसी भी सुरत में सीमांकन की व पत्थरगढ़ी की आवश्यकता नही है। मौके पर पहले से माप चौक कर रखा है और सीमांकन भी कर रखा है, और बीच की सीमा पर जगह जगह पत्थर भी रोप रखे है और सीमा का ज्ञान अच्छी तरह से है और जहाँ मौके पर सीमा है, उस जगह पर यदि प्रार्थीया तारबन्दी या दीवार बनाना चाहती है तो अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई उज्ज एतरात नही है तथा इसका सीमांकन पहले से पश्चिम दिशा की माठ को लेकर किया जा चुका है एवम् 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीया को मौके पर सुपुर्द कर रखी है तथा शेष 0.1600 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है तथा जब तक नक्शे का शुद्धीकरण अलग से जो प्रार्थनापत्र अप्रार्थी द्वारा कर रखा है, शुद्धीकरण नहीं होता है तब तक सीमांकन किया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत खसरा नम्बर 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर प्रार्थीया की स्वयं की खरीदसुदा व खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थीया द्वारा केवल रकबा 0.1600 है0 की भूमि के सीमांकन व पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन किया हैं। न्यायालय में विचाराधीन अन्य दावों के निस्तारण तक पत्थरगढ़ी के प्रा0पत्र को निर्णय हेतु लंबित नहीं रखा जा सकता हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने व्यक्त किया कि प्रार्थीया पत्थरगढ़ी की आड़ में हमारी मौके पर रकबा 0.0700 है0 की अतिरिक्त जमीन को हड़पना चाहती हैं। क्योंकि अप्रार्थी के कब्जे में 0.3200 है0 भूमि है, जबकि राजस्व रेकर्ड में 0.2500 है0 भूमि हैं। प्रार्थीया द्वारा गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 01 के मध्य माठों व सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं हैं। जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 3033 के खसरा नम्बर 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 3033 के खसरा नम्बर 6473/2886 रकबा 0.1600 हैक्टर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)